भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 236

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस के माध्यम से पोषण संवर्धित चावल का वितरण

236. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी मात्रा में तथा किस दर से पोषण संवर्धित चावल खरीदे गए और सामान्य चावल के साथ मिश्रित किए गए तथा ऐसे चावल की आपूर्तिकर्ता कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं में संवर्धित चावल को अनिवार्य बनाने के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों और अन्य संवेदनशील समूहों को लौह तत्व संवर्धित चावल के संभावित हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या देश भर में पोषण संवर्धित चावल योजना को बढ़ाने से पूर्व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके व्यापक प्रभाव का आंकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) रक्ताल्पता घटाने में इस योजना की प्रभावशीलता की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु कौन-से तंत्र मौजूद हैं; और

(च) देश में कुपोषण और रक्ताल्पता से निपटने विशेषकर विविध, स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए किन विकल्पों पर विचार किया गया था?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): चावल फोर्टिफिकेशन, सामान्य चावल/कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) में वजन के अनुसार 1% फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) को शामिल करने की प्रक्रिया है । भारत

.....2/-

सरकार ने चावल फोर्टिफिकेशन की वार्धिक लागत को 0.73 रुपये प्रति किलोग्राम (या वास्तविक जो भी कम हो) की सीमा के साथ स्वीकृति दे दी है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार, चावल फोर्टिफिकेशन पहल के लिए एफआरके भी खरीदते हैं। वर्ष 2019-20 से दिनांक 31.03.2024 तक पीडीएस के माध्यम से लगभग 406 लाख टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया है।

(ख): भारत सरकार समाज के कमजोर वर्गों में व्याप्त छिपी हुई भूख (सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी) विशेष रूप से एनीमिया से निपटने के लिए एक पूरक रणनीति के रूप में पीएमजीकेएवाई और सरकार की अन्य योजनाओं आदि के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। मई 2016 में खाद्य फोर्टिफिकेशन पर कार्रवाई/कानून बनाने की सिफारिश करने के लिए गठित टास्क फोर्स ने आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से सरकारी कार्यक्रम के लिए चावल के अनिवार्य फोर्टिफिकेशन की सिफारिश की थी। नीति आयोग ने अपनी "नए भारत @75 की रणनीति" के लिए में भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए खाद्यान्नों के फोर्टिफिकेशन की सिफ़ारिश की थी।

(ग): दिनांक 02.08.2018 को अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियमन, 2018 के विनियमन 7 के उप-विनियमन (4) में विनिर्दिष्ट किया गया है कि आयरन से युक्त भोजन के प्रत्येक पैकेज पर यह कथन अंकित होगा- "थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति चिकित्सकीय देखरेख में ले सकते हैं और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि आयरन-फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादों का सेवन न करें।"

स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक की अध्यक्षता में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया पर दिनांक 30.11.2023 को समिति गठित की गई थी। वैज्ञानिक साहित्य की क्रिटिकल समीक्षा, साक्ष्य और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के आधार पर, समिति ने थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के रोगियों के लिए फोर्टिफाइड चावल पर चेतावनी लेबल को हटाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 19 जुलाई 2024 के परिपत्र के माध्यम से उपरोक्त उप-विनियमन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

.....3/-

(घ): भारत और विदेश में उपलब्ध अध्ययनों के आधार पर; तथा भारत में अनिवार्य चावल फोर्टिफिकेशन के लिए एफएसएसएआई की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने देश में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का काम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग के समग्र मार्गदर्शन और मॉनिटरिंग के तहत अन्य नामित हितधारकों के साथ मिलकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करके समवर्ती आधार पर चावल फोर्टिफिकेशन पहल का उचित मूल्यांकन अध्ययन करने का प्रावधान है।

(ङ.): नीति आयोग द्वारा चावल फोर्टिफिकेशन पहल के प्रभावी मूल्यांकन की निगरानी के लिए एक कोर समिति का गठन किया गया है। नीति आयोग और आईसीएमआर-एनआईएन द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों के छह जिलों में आयरन-फोर्टिफाइड चावल के आयरन-डेफिशिएंसी एनीमिया पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चावल फोर्टिफिकेशन पर शुरु की गई प्रभावकारिता और प्रभावशीलता से संबंधित अध्ययन किए, जो बच्चों और महिलाओं में एनीमिया के प्रसार में कमी का संकेत देते हैं।

(च): पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों में पोषण के स्तर को सुधारने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेट्स (श्री अन्न) खरीदने और स्थानीय उपभोग की प्राथमिकताओं और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने के लिए सलाह जारी की गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में प्रावधान है कि गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे आईसीडीएस और पीएम-पोषण योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन पाने के पात्र हैं। 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

*****